13122024-DTM-05_27DT02A.qxd 12/12/2024 10:43 PM Page 1



### मंत्री अनिल विज ने सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, कहा

# टांगरी बांध रोड से सेक्टरों को जोड़ने वाली सड़क का जल्द हो निर्माण

अम्बाला, 12 दिसंबर (हप्र)

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने टांगरी बांध रोड से सेक्टर 32-34 को जोड़ने वाली रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और रोड का निर्माण जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए। अनिल विज ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोड बनाने के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि लोगों को टांगरी बांध रोड से सेक्टरों से होते हुए जीटी रोड तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रोड के लेवल एवं अन्य पहलुओं को जांचा और खासकर बरसात के दिनों में पानी निकासी व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस रोड का निर्माण होने से अम्बाला छावनी के लोगों को जीटी रोड तक आने-जाने में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वह टांगरी बांध रोड से सेक्टरों से होते हुए जीटी रोड से आ-जा सकेंगे।

अम्बाला छावनी में बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करते मंत्री अनिल विज। -हप्र

**अधिकारियों के साथ की बैठक**

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर विभिन्न विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक करते हुए दिशा-निर्देश दिए। मच्छौंडा में रेलवे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने डीआरएम अम्बाला से भी फोन पर बात की ताकि कार्य को जल्द प्रारंभ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अम्बाला-दिल्ली रेलमार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर बनने से क्षेत्रवासियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक को जल्द प्रारंभ करने, सुभाष पार्क में फूड कोर्ट अलॉट करने, बैंक स्क्वेयर, बाजारों व कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट्स मल्टी लेवल पार्किंग व अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की।

## नैक की टीम ने किया गवर्नमेंट कॉलेज का निरीक्षण

इन्द्री, 12 दिसंबर (निस)

गांव मटक माजरी स्थित शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की टीम ने दौरा किया। महाविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और अधोसंरचना क्षमताओं का आकलन करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। नैक पियर टीम में पूर्व वाइस चांसलर मिजोरम यूनिवर्सिटी, चेयरपर्सन प्रोफेसर केआरएस समबसिवा राव, आंध्र प्रदेश से कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रमेश एन. रजिस्ट्रार, रसायन विभाग, रीवा यूनिवर्सिटी, कर्नाटक और सदस्य के रूप में डॉ. रबी नारायण कर, प्रिंसिपल श्यामलाल कॉलेज, शाहदरा दिल्ली मुख्य रूप से शामिल रहे। टीम के आगमन पर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ महेन्द्र सिंह बागी एवं कॉलेज काउंसिल के सदस्यों डा. राजीव कुमार गुप्ता, डॉ. अनिल ढिल्लों, डा. राजकुमार, डॉ. करमबीर, डॉ. रणबीर एवं नैक कोऑर्डिनेटर डॉ.दीपा शर्मा ने स्वागत किया।

## पानीपत शुगर मिल में 6.56 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई

पानीपत, 12 दिसंबर (हप्र)

पानीपत शुगर मिल पिछले एक सप्ताह से अपनी पूरी क्षमता से चल रही है और रोजाना 50 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई हो रही है। पानीपत शुगर मिल में बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे तक 6 लाख 56 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। शुगर मिल में लगी 28 मेगावाट क्षमता की टरबाईन भी बृहस्पतिवार को 24 मेगावाट के लोड पर चल रही है। पानीपत शुगर मिल बृहस्पतिवार सुबह तक 46 लाख यूनिट बिजली एचपीपीएन के नौल्था पॉवर सब स्टेशन को बेची जा चुकी है। बता दे कि दो दिन पहले ही कुछ किसानों द्वारा गन्ने की वैरायटी 5011 को अभी से शुगर मिल द्वारा लेने की मांग की गई थी। शुगर मिल प्रबंधन, शुगर फेड से आये अधिकारियों व किसानों की हुई मीटिंग में उस पर भी सहमति बन गई है। इस बारे में मिल के एमडी मनदीप कुमार ने बताया कि पानीपत शुगर मिल अपनी पूरी क्षमता से चल रही है और अभी तक 6.56 लाख गन्ने की पेराई हो गई है।

## इंद्री अनाज मंडी में रैली 23 को, सीएम करेंगे शिरकत

इन्द्री, 12 दिसंबर (निस)

विधायक एवं हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने कहा कि 23 दिसंबर को नई अनाज मंडी इंद्री में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विधायक ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए गांव बदरपुर, डबकौली कलां, डेरा हलवाना सिकलीगर में पहुंचकर लोगों को निमंत्रण दिया तथा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार चुनने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। विधायक का गांवों में पहुंचने पर लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वह इस विशाल रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रैली की शोभा बढ़ाए। कश्यप ने कहा कि जिस विश्वास व उम्मीद के साथ हल्के की जनता ने उन्हें प्यार व मान-सम्मान देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वे उनका दिल से धन्यवाद करते हैं।

## मेले में पर्यटकों ने जमकर की खरीदारी

कुरुक्षेत्र, 12 दिसंबर (हप्र)

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्मसरोवर के घाट कला और संस्कृति के संगम स्थल बन गए है। विभिन्न प्रदेशों के वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों के साथ पर्यटक झूम उठते है। हरियाणा पैवेलियन में हरियाणा की आन-बान-शान देहाती पगड़ी, हरियाणा के पारम्परिक व्यंजन, देशी ठाठ-बाट, रहन-सहन, खेत-खलिहान, मध्य प्रदेश के पवेलियन में झलकती सांस्कृतिक धरोहर इस महोत्सव के आनंद को और बढ़ा रही है। सरस और क्राफ्ट मेले में वेस्ट लकड़ी से पोट बनाकर और कारविंग की शिल्पकला को पसंद किया गया। सहारनपुर से आए शिल्पकार जावेद पिछले 10 साल से अपनी शिल्पकला के साथ यहां पहुंच रहे हैं। बनारस के शिल्पकार मोहम्मद हनीफ का अंतर्राष्ट्ड्रीय गीता महोत्सव के साथ 25 साल का नाता रहा है। महोत्सव में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं धार्मिक कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा के साथ कर रही है।


Form No. 3 [See Regulation-15(1)(a)]/ 16(3)

**ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (DRT 2)**
एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) रूल्ज़, 1993 के रूल 5 के उप-रूल (2 ए) की सहपठित धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

Exh. No. 24298 **सम्मन** केस नं. OA/566/2024

**एचडीएफसी बैंक बनाम गुरमीत सिंह**

1. गुरमीत सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह निवासी मकान नं. 404, गांव सुखचैन, तह. कालांवाली, जिला सिरसा (हरि.)-125201
3. परमिंदर कौर सुखचैन 187, सिरसा (हरि.)-125201

यतः OA/566/2024 को माननीय सभापति/रजिस्ट्रार के समक्ष 29.10.2024 के लिए लिस्टिड किया गया।
यतः इस माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर नोटिस/सम्मन जारी किया जा रहा है। रु. 22,27,455.68 के ऋणों की वसूली हेतु आपके प्रति (ओए) दर्ज किया गया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न)।
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुरूप आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :-
(i) सम्मन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आवेदित राहत हेतु ग्रांट न दी जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या प्रॉपर्टियों का विवरण बताने के लिए;
(iii) आपको प्रॉपर्टियों की अटेचमेंट के लिए आवेदन की डिस्पोज़ल तथा लम्बित सुनवाई, मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत बताई गई परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों या सुरक्षित परिसम्पत्तियों को डिस्पोज ऑफ करने या उसका लेन-देन करने से रोका जाता है।
(iv) ट्रिब्यूनल से पूर्व अनुमति लिए बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रदर्शित अन्य परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों तथा/या सिक्योरिटी इंट्रस्ट वाली किसी भी सम्बद्ध परिसम्पत्ति से बिजनेस की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर सेल, लीज या किसी अन्य विधि से हस्तांतरण करने पर आप पर प्रतिबंध रहेगा।
(v) आप को बिजनेस की साधारण प्रक्रिया के परिपालन में सुरक्षित परिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों एवं प्रॉपर्टियों की बिक्री के माध्यम से बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद उक्त परिसम्पत्तियों के संबंध में सिक्योरिटी इंट्रस्ट रखने वाले वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा मेन्टेन किए गए खाते में प्राप्त बिक्री राशि को जमा करवाना होगा।
आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को एक प्रति जमा करवाने सहित लिखित स्टेटमेंट दर्ज करवायी जाए तथा 03.01.2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हों अन्यथा आप की अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवायी करके निर्णय ले लिया जाएगा।
आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर व ट्रिब्यूनल के मुद्रांक के तहत जारी।

DI-20649 हस्ता./- सम्मन जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।


### संत ईश्वर ज्ञानदीप सेवाधाम के वार्षिकोत्सव में मंत्री महीपाल ढांडा बोले

# शिक्षा के साथ विद्यालय में बच्चों को मिलते हैं संस्कार

पानीपत, 12 दिसंबर (वाप्र)

सेवा भारती के 22 वर्षों से चल रहे विद्यालय में बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जा रही, बल्कि बच्चों के मन को अच्छे संस्कारों से शुद्ध भी किया जा रहा है। शुद्ध विचारों को लेकर ये बच्चे अच्छा मुकाम हासिल करें यही हमारी कामना है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने माता चन्द्रकांता सेवा स्मृति न्यास के मार्गदर्शन और सेवा भारती के सहयोग से संचालित संत ईश्वर ज्ञानदीप सेवाधाम के 22वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। वार्षिकोत्सव माता चंद्रकांता परिसर, जाटल रोड में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर देशभर से प्रतिष्ठित एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। माता चंद्रकांता स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष एवं विहिप दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने उन बच्चों की बदलती जिंदगी पर प्रकाश डाला जो पहले वंचित और मुख्यधारा से विमुख थे। उन्होंने बताया कि माता जी चाहती थी कि किसी को कुछ देना है तो उन्हें शिक्षा दे, ताकि शिक्षित होकर देश और समाज की सेवा कर सके। इस अवसर पर बच्चों ने आध्यात्मिक और देशभक्ति से प्रेरित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये। छात्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी ने भी विशेष आकर्षण बटोरा। ज्ञानदीप सेवाधाम वंचित परिवारों और घुमन्तु जनजातियों के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। जो बच्चे कभी कूड़ा बीनने का कार्य करते थे, आज शिक्षा और कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। विद्यालय निःशुल्क शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी समग्र शिक्षा सुनिश्चित कर रहा है।

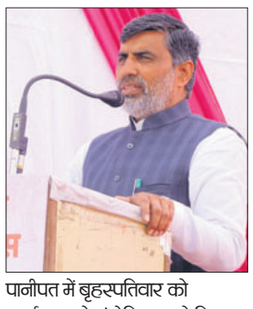

पानीपत में बृहस्पतिवार को कार्यक्रम को संबोधित करते शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा। -वाप्र

**वंचित समाज को शिक्षा पदान कर रही सेवा भारती**

सेवा भारती के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि सेवा भारती पूरे हरियाणा में सेवा के कार्य कर रही है। वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना, इन बस्तियों की बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई,मेंहदी लगाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सिंहराज अधाना, पैरालंपिक शूटिंग कांस्य पदक विजेता ने कहा कि आप अपने बच्चों को पोलियो की दो खुराक अवश्य पिलाए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कहा कि सर्वांगीण विकास की यह श्रृंखला निरंतर चलती रहे यही प्रभु से कामना और आशीर्वाद है। कार्यक्रम में सेवा भारती पानीपत से अनिल मित्तल जिला अध्यक्ष, सुरेन्द्र चोपड़ा, सुरेश गांधी सचिव, संदीप हिरनवाल,गौरव सिंगला, चंद्र शेखर उपनगर एवं संत ईश्वर फाउंडेशन की टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में बलराम नंदवानी, राजेश गोयल, अनूप जी जिला संघ चालक, सतीश गुप्ता नगर संघ चालक, कृष्ण गोपाल सेठी, डा देवेन्द्र बत्रा,सुरेश कामरा, रमेश नागरु एवं माधवी हंस उपस्थित रहे।


**हरियाणा सरकार** — **निविदा सूचना**

| क्र. नं. | बोर्ड/ निगम/ अथारिटी का विवरण | कार्य निविदा सूचना का विवरण | खोलने की तिथि अंतिम तिथि (समय) | राशि/ धरोहर राशि (अनु.) रु. में | बोर्ड / निगम अथारिटी की वेबसाइट | नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ई-मेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दि हिसार जींद कोआप्रेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्ज यूनियन लिमिटेड | मिल्क प्लांट जींद में 1000 केवीए डीजी सैट की आपूर्ति, स्थापना तथा कमिश्निंग | 17.12.2024 15.01.2025 | 1 CRORE | https://etenders.hry.nic.in | 9812302172 vitajind@gmail.com |

अधिक विवरण हेतु कृपया पधारें- www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in PRDH/13/2025/40/31025/I/11/4



Form No. 3 [See Regulation-15(1)(a)]/ 16(3)

**ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ (DRT 2)**
एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) रूल्ज़, 1993 के रूल 5 के उप-रूल (2 ए) की सहपठित धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

**सम्मन** केस नं. OA/1024/2024

**एचडीएफसी बैंक लिमि. बनाम मेजर सिंह एवं बखविंदर सिंह उर्फ बखा सिंह**

1. मेजर सिंह पुत्र बखविंदर सिंह उर्फ बखा सिंह निवासी गांव फतेहगढ़ चम्मू, तह. इस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)-136129
2. बखविंदर सिंह उर्फ बखा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी गांव फतेहगढ़ चम्मू, तह. इस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र (हरि.)-136129

यतः OA/1024/2024 को माननीय सभापति/रजिस्ट्रार के समक्ष 07.10.2024 के लिए लिस्टिड किया गया।
यतः इस माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर नोटिस/सम्मन जारी किया जा रहा है। रु. 24,68,308/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके प्रति (ओए) दर्ज किया गया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न)।
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुरूप आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :-
(i) सम्मन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आवेदित राहत हेतु ग्रांट न दी जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या प्रॉपर्टियों का विवरण बताने के लिए;
(iii) आपको प्रॉपर्टियों की अटेचमेंट के लिए आवेदन की डिस्पोज़ल तथा लम्बित सुनवाई, मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत बताई गई परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों या सुरक्षित परिसम्पत्तियों को डिस्पोज ऑफ करने या उसका लेन-देन करने से रोका जाता है।
(iv) ट्रिब्यूनल से पूर्व अनुमति लिए बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रदर्शित अन्य परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों तथा/या सिक्योरिटी इंट्रस्ट वाली किसी भी सम्बद्ध परिसम्पत्ति पर बिजनेस की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर सेल, लीज या किसी अन्य विधि से हस्तांतरण करने पर आप पर प्रतिबंध रहेगा।
(v) आप को बिजनेस की साधारण प्रक्रिया के परिपालन में सुरक्षित परिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों एवं प्रॉपर्टियों की बिक्री के माध्यम से बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद उक्त परिसम्पत्तियों के संबंध में सिक्योरिटी इंट्रस्ट रखने वाले वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा मेन्टेन किए गए खाते में प्राप्त बिक्री राशि को जमा करवाना होगा।
आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को एक प्रति जमा करवाने सहित लिखित स्टेटमेंट दर्ज करवायी जाए तथा 03.01.2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हों अन्यथा आप की अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवायी करके निर्णय ले लिया जाएगा।
आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर व ट्रिब्यूनल के मुद्रांक के तहत जारी।

DI-20650 हस्ता./- सम्मन जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।



Form No. 14 [ See Regulation-33 (2) ] by publication

**कार्यालय : वसूली अधिकारी-I/II**
**ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (DRT 2)**
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)

आयकर एक्ट, 1961 की द्वितीय अनुसूची के रूल 2 तथा रिकवरी आफ डेब्ट्स एंड बैंकरप्टसी एक्ट, 1993 की दफा 25 से 28 के तहत नोटिस

RC/517/2023 डिमांड नोटिस 23.08.2024

**एचडीएफसी बैंक बनाम श्री चन्द्र मोहन सिंह**

सूचना बनाम :
(सीडी 1): श्री चन्द्र मोहन सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह म. नं. 203, गांव ढांड, तहसील फतेहाबाद, हरियाणा।
(सीडी 2): लक्ष्मी चन्द पुत्र रामजस, म. नं. 203, गांव ढांड, तहसील फतेहाबाद, हरियाणा।
(सीडी 3): राजबीर पुत्र एच बुद्धराम गांव ढांड, फतेहाबाद, हरियाणा।

OA/1249/2022 में सभापति ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (DRT-2) द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि रु. 1,12,005/- की लागत सहित एवं 30.05.2022 से वापसी तक 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर विचाराधीन एवं भविष्य के ब्याज सहित रु. 87,58,519/- की राशि आपके प्रति (संयुक्त एवं पृथक/पूर्णतः/सीमित रूप में) बकाया है।
2. आपको निर्देशित है कि नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा वसूली को रिकवरी आफ डेब्ट्स ड्यू टु बैंक एंड फायनेंशियल इंस्टिच्यूशंज एक्ट, 1993 व इसके तहत आने वाले नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. आपको आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई से पहले अपनी संपत्ति के विवरण बारे एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करें।
4. अगली कार्यवाही के लिए आप 02.01.2025 को प्रातः 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख पेश हों।
5. उक्त राशि के अलावा, आपको निम्न भी देना है:
(ए) सर्टिफिकेट/कार्यकर्दगी कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद की अवधि के लिए बनता ब्याज।
(बी) बकाया रकम प्राप्त करने के लिए इस नोटिस, वारंटों की तामील तथा अन्य प्रक्रियाओं और कार्यवाही में हुआ खर्चा, चार्जेज व लागत।
मेरे हस्ताक्षर एवं इस अधिकरण की मोहर से 23.08.2024 को जारी।

वसूली अफसर,
DI-20651 ऋण वसूली ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ (डीआरटी-2)


### बरवाला के पूर्व विधायक जोगीराम सिहाग बोले

# नई नीति लागू कर बिजली मंत्री मनोहर लाल ने दिया किसान हितैषी होने का प्रमाण

बरवाला,12 दिसंबर (निस)

बरवाला के पूर्व विधायक व भाजपा नेता जोगीराम सिहाग ने कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हक में नई नीति लागू कर सही मायने में किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया है।

जोगीराम सिहाग ने कहा कि खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली लाइनों के लिए नई मुआवजा नीति बनाई है जोकि ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्वयं भी तीन वर्ष पहले विधानसभा में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के मुआवजे की इस मांग को प्रमुखता से उठाया था।

उस समय भी उनकी इस मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सकारात्मक उत्तर दिया था। आज जब वह केंद्रीय बिजली मंत्री हैं तो उन्होंने इस मुआवजा नीति को लागू करके किसानों को वास्तव में लाभ पहुंचाने का कार्य किया है।

बरवाला विधानसभा क्षेत्र से आज काफी संख्या में किसान पूर्व विधायक जोगीराम सिहाग से मिले और केंद्रीय बिजली मंत्री द्वारा उनके हक में मुआवजा नीति लागू करने का स्वागत भी किया और पूर्व विधायक सिहाग को किसानों ने लडडू खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। जोगीराम सिहाग ने कहा कि इस नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्केट रेट को आधार माना गया है। टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान करने के साथ-साथ खेत से गुजरने वाली लाइनों के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की लंबे समय से यह मांग थी कि खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीन पर किसी प्रकार की कोई पैदावार नहीं होती और ना ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता है। किसानों की इसी मुश्किल को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने समझा और नीति बनाकर लागू करने का सराहनीय कार्य किया।

बरवाला में बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक जोगी राम सिहाग के साथ लड्डू बांटकर खुशी जताते किसान। -निस

## किसानों को फसल बीमा से जोड़ने के लिए दिया प्रशिक्षण

अंबाला शहर, 12 दिसंबर (हप्र)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन (2024-25) के लिए अटल सेवा केंद्र संचालकों को उपकृषि निदेशक कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक सांख्यिकी डॉ. राजीव मिश्रा और उप कृषि निदेशक डॉ जसविंद्र सैनी मौजूद रहे। डॉ. राजीव मिश्रा ने अटल सेवा केंद्र सचालकों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में गैर ऋणी किसानों को प्रधानमत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने के निर्देश दिये। सहायक सांख्यिकी मनजीत कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर रबी सीजन (2024-25) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। किसानों का बीमा करते समय जमीन से संबंधित दस्तावेज और डाटा को पोर्टल पर ध्यान से अपलोड करें।


Form No. 3 [ See Regulation-15 (1) (a) ]/16 (3)

**ऋण वसूली अधिकरण-II चंडीगढ़ (DRT 2)**
एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) रूल्ज़, 1993 के रूल 5 के उप-रूल (2 ए) की सहपठित धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

Exh. No. 24010 **सम्मन** केस नं. OA/709/2024

**एचडीएफसी बैंक बनाम कुलदीप सिंह**

प्रतिवादी नं. 1 : कुलदीप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी म. नं.-DA144, वार्ड नं. 1, नज़दीक राजेन्द्रा अस्पताल उचाना कलां तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा।
यहां भी : कुलदीप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी मकान नं.-106, ब्लाक नं.-2, गांव ककरौद तहसील नरवाणा जिला जींद, हरियाणा-126102
प्रतिवादी नं. 2 : धन्नो देवी पत्नी श्री अजमेर सिंह निवासी म. नं.-DA144, वार्ड नं. 1, नज़दीक राजेन्द्रा अस्पताल उचाना कलां तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा।
यहां भी : धन्नो देवी पत्नी श्री अजमेर सिंह निवासी मकान नं.-106, ब्लाक नं.-2, गांव ककरौद तहसील नरवाणा जिला जींद, हरियाणा-126102
प्रतिवादी नं. 3 : श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गिरधला निवासी म. नं. 132/2, ब्लाक नं.-1, गांव ककरौद तहसील नरवाणा जिला जींद, हरियाणा-126102

यतः OA/709/2024 को माननीय सभापति/रजिस्ट्रार के समक्ष 04.10.2024 के लिए लिस्टिड किया गया।
यतः इस माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर नोटिस/सम्मन जारी किया जा रहा है। रु. 69,95,811/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके प्रति (ओए) दर्ज किया गया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न)।
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुरूप आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :-
(i) सम्मन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आवेदित राहत हेतु ग्रांट न दी जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या प्रॉपर्टियों का विवरण बताने के लिए;
(iii) आपको प्रॉपर्टियों की अटेचमेंट के लिए आवेदन की डिस्पोजल तथा लम्बित सुनवाई, मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत बताई गई परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों या सुरक्षित परिसम्पत्तियों को डिस्पोज ऑफ करने या उसका लेन-देन करने से रोका जाता है;
(iv) ट्रिब्यूनल से पूर्व अनुमति लिए बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रदर्शित अन्य परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों तथा/या सिक्योरिटी इंट्रस्ट वाली किसी भी सम्बद्ध परिसम्पत्ति पर बिजनेस की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर सेल, लीज या किसी अन्य विधि से हस्तांतरण करने पर आप पर प्रतिबंध रहेगा;
(v) आप को बिजनेस की साधारण प्रक्रिया के परिपालन में सुरक्षित परिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों एवं प्रॉपर्टियों की बिक्री के माध्यम से बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद उक्त परिसम्पत्तियों के संबंध में सिक्योरिटी इंट्रस्ट रखने वाले वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा मेन्टेन किए गए खाते में प्राप्त बिक्री राशि को जमा करवाना होगा।
आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को एक प्रति जमा करवाने सहित लिखित स्टेटमेंट दर्ज करवायी जाए तथा 02.11.2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हों अन्यथा आप की अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवायी करके निर्णय ले लिया जाएगा।
आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर व ट्रिब्यूनल के मुद्रांक के तहत जारी।

DI-20652 हस्ता./- सम्मन जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।



**राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदर, हिसार**
HPGCL
(हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट)

**रुचि की अभिव्यक्ति**

आरजीटीपीपी, एचपीजीसीएल द्वारा पोंड ऐश यूज़र एजेंसियों अर्थात सीमेंट कम्पनियों, ब्लाक निर्माताओं, एनएचएआई, हाईवे प्राजेक्ट ठेकेदारों/फर्मों, ट्रेडर्ज आदि से न्यूनतम 05 वर्षों की अवधि हेतु दीर्घकालीन अनुबंध में शामिल होने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है। आरजीटीपीपी, खेदर, हिसार के ऐश डाइक्स से पोंड ऐश यथा स्थान यथा स्थिति आधार पर उपलब्ध है। इच्छुक पार्टियों को लोडिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन संबंधी सभी खर्चों का वहन करना होगा। इच्छुक एजेंसियों से विनती है कि वे एचपीजीसी की अधिकृत वेबसाइट https://hpgcl.org.in पर उपलब्ध प्रारूप पर ही अपनी अपेक्षिता को जमा करवा सकती हैं।

कृपया यह नोट किया जाए कि प्रति वर्ष किसी भी शार्ट लिफ्ट मात्रा हेतु पर्यावरण क्षतिपूर्ति रु. 1500/- प्रति एमटी की होगी। यतः इच्छुक पार्टियों से विनती है कि वे उक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही वार्षिक आबंटन मात्रा हेतु आवेदन करें।

पोंड ऐश की लिफ्टिंग हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए इच्छुक फर्में कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकती हैं। ईओआई विवरण निम्नानुसार